न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 05 / 2022

अपीलार्थीगण – *बनाम* **उत्तरदाता–**

1. भगवानसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत निवासी रासलानी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गडरारोड़ जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.01.2022 जो प्रकरण सं. 24 / 2021 में तहसीलदार गडरारोड द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री छैलसिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक, उत्तरदात्ता की ओर से अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 20.05.2026

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रकरण सं. **24 / 2021** सरकार बनाम **भगवानसिंह** में पारित निर्णय दिनांक **05.01.2022** के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का **बिजावल** द्वारा तहसीलदार गडरारोड़ के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा **रासलीन** के खसरा नम्बर **4139** किस्म **गैर मुमकीन रास्ता** में से **0.03** बीघा भूमि पर गैर सायल द्वारा अपीलाधीन सिवाय चक भूमि पर अवैध कब्जा–काश्त कर अतिक्रमण एवं कब्जा बाड़ कर ली है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किए, परंतु गैर सायल द्वारा अपने पक्ष में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट का

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

परीक्षण एवं विवेचन उपरांत गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक **05.01.2022** के द्वारा **50**/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने दिनांक **11.02.2022** को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। साथ ही स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने बहस सुनी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बिना कोई विश्लेषण किये कानूनी प्रक्रिया के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन निर्णय पर विहंगम दृष्टिपात किए जाने से प्रकट होता है कि विवेच्य निर्णय पूर्वाग्रह से ग्रसित बिना गहराई में गए सरसरी तौर पर छपे–छपाए प्रफॉर्मा में यह निर्णय पारित किया गया है। ज्ञात रहे कि अपीलाधीन निर्णय द्वारा निराधार ही अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली एवं जुर्माने का आदेश दिया है। जबकि उक्त भूखण्ड पर अपीलांट के पिता राणसिंह के 1971में पाक से विस्थापित होकर आने के समय से काबिज है उसी समय मकान बनाया गया था तब से लेकर आज दिन तक अपीलांट काबिज है, अपीलांट द्वारा कोई नया निर्माण नहीं किया गया है। उक्त मकान में अपीलांट का परिवार सहित रहवास है। अपीलांट का उक्त भूखण्ड पर पैतृक कब्जा है, अपीलांट के नाम से सौर ऊर्जा कनेक्शन भी लिया हुआ है जिससे अपीलकर्ता का पुराना कब्जा होना स्पष्ट प्रमाणित है। उक्त गैर मुमकिन गोचर भूमि में ही पाक से विस्थापित होकर आए शरणार्थी मौजा रासलानी में 1971 में बसे थे। गोचर भूमि में पुराने समय से काबिज है। गांव की आबादी विस्तार को लेकर ग्राम पंचायत बिजावल द्वारा कई बार प्रस्ताव भी लिए गए। इससे साबित है कि अपीलांट द्वारा कोई नया निर्माण

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

नहीं किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण पूर्णरूपेण त्रुटिग्रस्त है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत एक तरफा रूप से पारित किया गया आदेश अपास्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया कि यह अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है क्योंकि हल्का पटवारी द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी देने के दूसरे दिन दिनांक 31.01.2022 को तहसील कार्यालय जाकर उक्त आदेश की नकल मांगकर तैयार करवाई तब उक्त आदेश की जानकारी हुई। जानकारी की तारीख से यह अपील अंदर म्याद पेश की गई।
6. रेस्पोडेंट की ओर राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित।
7. हमने अधिवक्ता अपीलांट के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन खसरा नम्बर **4139** किस्म **गैर मुमकीन रास्ता** में से **0.03** बीघा भूमि पर अपीलकर्ता द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट हल्का पटवारी **बिजावल** द्वारा प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अपीलकर्ता का कथन है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है और साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही एक तरफा आदेश पारित कर दिया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया, परंतु अप्रार्थी द्वारा समुचित अवसर प्रदान करवाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया। इसके अलावा अधिवक्ता अपीलांट का कथन हैं कि उक्त भूखण्ड पर अपीलांट के पिता राणसिंह के 1971 में पाक से विस्थापित होकर आने के समय से काबिज है उसी समय मकान बनाया गया था तब से लेकर आज दिन तक अपीलांट काबिज है, अपीलांट द्वारा कोई नया निर्माण नहीं किया गया है। उक्त मकान में अपीलांट का परिवार सहित रहवास है। अपीलांट का उक्त भूखण्ड पर पैतृक कब्जा है, अपीलांट के नाम से सौर ऊर्जा कनेक्शन भी लिया हुआ है जिससे अपीलकर्ता का पुराना कब्जा होना स्पष्ट प्रमाणित है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

उक्त गैर मुमकिन गोचर भूमि में ही पाक से विस्थापित होकर आए शरणार्थी मौजा रासलानी में 1971 में बसे थे। गोचर भूमि में पुराने समय से काबिज है। जहां तक राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का प्रश्न हैं तो हल्का पटवारी के संज्ञान में आने पर समस्त प्रकार की राजकीय भूमियों पर होने वाले अतिक्रमण की सूचना/रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करने का पदीय दायित्व हैं, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उस पर की गई कार्यवाही में किसी प्रकार की अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती हैं एवं इस संबंध में तहसीलदार गडरारोड़ की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.05.2026 के अनुसार आदिनांक तक अप्रार्थी का कब्जा उक्त खसरे पर है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने कब्जे के बाबत स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो दण्डादेश पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। जहां तक अपीलांट पाक विस्थापित होने से लंबे समय से निवासरत होना बताते हैं तो इसके लिए अपनी पात्रता अनुसार कब्जे का नियमीतीकरण/आवंटन हेतु पृथक से चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)